<u>न्यायालय :: जनपद न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

<u>सिविल प्रकीर्ण वाद सं0–178/2025</u>

(CNR No.- UPET010062782025)

हुकुम सिंह बनाम रवि कुमार आदि।

<u>10.07.2026</u>

पत्रावली प्रार्थनापत्र 9सी2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक की ओर से प्रार्थना–पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर याचना की गयी कि निवेदन है कि उसने उपरोक्त अपील अपर अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक–17–7–2025 को निरस्त कराने के लिये दिनांक 09–09–2025 को पेश किया है, जिसमें उसके अपीलांट द्वारा कोई विलम्ब जानबूझकर नहीं किया गया है। विलम्ब का कारण पूर्व अधिवक्ताओं के रिस्पोडेंट की परोक्ष साजिश के तहत लगातार पक्षघाती हो जाना व अपीलांट को गुमराह करते रहना व सही बात का न बताना रहा है। पूर्व अधिवक्ताओं के कमिक रूप से पक्षघाती होने के बाद अन्तिम अधिवक्ता के भी पक्षघाती हो जाने का इल्म प्रार्थी अपीलांट को वर्तमान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने से हुआ और अवर अदालत द्वारा दिनांक 30–4–2025 को एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हो जाने का इल्म होंने पर आदेश दिनांक 30–4–2025 को निरस्त कराने के लिये प्रार्थना पत्र दिया, जिसको अवर अदालत द्वारा दिनांक 17–7–2025 को खारिज कर दिया। आदेश की नकल का सवाल दिनांक 02.09.2025 को डाला जिसकी नकल दिनांक 02.09.2025 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होंने के बाद प्रार्थी खेती में काम करते समय भीग गया जिसकी वजह से प्रार्थी सर्दीगर्मी की बीमारी से पीडित हो गया और बुखार आने लगा। प्रार्थी उसका घर पर इलाज देशी करता रहा और जब ठीक हुआ तव यह अपील पेश की है जिसमें कोई विलम्ब जानबूझकर नहीं किया है। ठीक होते ही अपील पेश की गयी है, फिर भी यदि अदालत की राय में अपील कालबाधित मानी जाती है तो प्रार्थी बीमारी से पीडित हो जाने के कारण धारा 5 भारतीय मियाद के तहत उपरोक्त विलम्ब जमा करा पाने का मुश्तहक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी की अपील धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का लाभ देकर सुनवाई के लिये अंगीकृत करने की कृपा करें।

विपक्षीगण 2 राजवीर उर्फ राजू के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति कागज संख्या 18सी2 संक्षेप में इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि अपीलार्थी हुक्म सिंह द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत विलंब क्षमा का प्रार्थना पत्र घोर लापरवाही और भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पूर्णतः निरस्त किए जाने योग्य है। दिनांक 13.08.2019 को समन तामील होने और पर्याप्त समय मिलने के बावजूद, अपीलार्थी ने चार अलग–अलग अधिवक्ता बदलने के बाद भी 3 वर्ष तक लिखित कथन दाखिल नहीं किया, चूँकि दोनों पक्षकार एक ही घर में रहने वाले पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए इस देरी का कोई भी उचित आधार नहीं बनता। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र और अपील में अलग–अलग तथ्य देकर तथा अपील दायर करने की तिथियों (09.09.2025 के बजाय 15.09. 2025) को लेकर झूंठ बोलकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। स्थापित कानूनी दृष्टांतों के अनुसार, कानून की अज्ञानता, गलत सलाह या अधिवक्ताओं की लापरवाही को पक्षकार की ही लापरवाही माना जाता है

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 15:57:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और यह विलंब क्षमा का पर्याप्त कारण नहीं है। अतः, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2025 को पत्रावली के गहन अध्ययन के बाद पारित किया गया विस्तृत आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत है, और अपीलार्थी का यह विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण देखते समय उदारता का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार समय समय पर कई विधि व्यवस्थाओं में यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को सामान्य रूम से मामलों को गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने के लिए विलम्ब क्षमा कर दिया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि–व्यवस्थाओं के दृष्टिगत आवेदक का प्रार्थना–पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 9सी2, अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आवेदक द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 22.07.2026 को पेश हो।

दिनांकः 10.07.2026

(राकेश धर दुबे)
जनपद न्यायाधीश, एटा।